

प्रेषक,

बच्चू लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ, दिनांक: 2 सितम्बर, 2017

विषय-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 के कार्यान्वयन हेतु सूचना/पर्यटन विभाग के स्तर से अपेक्षित शासनादेश/अधिसूचना निर्गत किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन अनुभाग के पत्र सं०-1308/छप्पन-2017-52/17 दिनांक 31.08.2017 एवं उ०प्र० नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 (प्रतियौ संलग्न) का अवलोकन करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 के प्रावधान-8.4.2 "Publicity support for RCS routes will be provided by state government through information and tourism department" में पर्यटन विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार आदि के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(बच्चू लाल)
उप सचिव।

संख्या: 1966(1)/41-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन अनुभाग, उ०प्र० शासन।
2. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ०प्र०।

भवदीय,

(बच्चू लाल)
उप सचिव।